संख्या 3(2)/2019-रक्षा (एएफटीसी)

भारत सरकार,

रक्षा मंत्रालय

सेना भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 25 जुलाई, 2019

सेवा में,

प्रधान रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार

(संलग्न सूची के अनुसार)

महोदय,

इस परिपत्र के माध्यम से सशस्त्र बल अधिकरण, जो सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम (2007 का 55) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, में न्यायिक सदस्य के आठ (08) पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. 01.06.2017 के जीएसआर 514(ई) के तहत अधिसूचित "अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (पात्रता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली 2017" के नियम 3 की अनुसूची 18 (कॉलम-3) में यह प्रावधान है कि:-

"कोई भी व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, जब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो।"

3. नियम 9 की उक्त अनुसूची 18(कॉलम 5 और 6) की शर्तों के अनुसार सदस्य की पदावधि तीन वर्ष हेतु और सदस्यों द्वारा पद ग्रहण करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष है।

4. एएफटी के सदस्यों के वेतन, भत्ते, अन्य नियम और शर्तें, "अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (सदस्यों की पात्रता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2017" शासित किए जाएंगे।

5. चयनित व्यक्ति की नियुक्ति अखिल भारतीय स्थानांतरण के अधीन होगी और इन्हें भारत में जहां भी सशस्त्र बल की पीठ होगी, तैनाती दी जा सकती है।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश, जिनको सेना कानूनों का विशेष ज्ञान और अनुभव है तथा सशस्त्र बल अधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद के लिए विचारित किए जाने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन पत्र उनके जीवन-वृत्तांत के साथ अग्रेषित कर सकते हैं (प्रति संलग्न)।

7. सशस्त्र बल अधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद हेतु निम्नलिखित सूचना और सामग्री आवेदन/जीवन-वृत्त के साथ संलग्न करना आवश्यक हैः-

(क) सेना संबंधी मामलों पर पांच निर्णय, और

(ख) आपराधिक मामलों, विशेष रूप से सशस्त्र बलों के संबंध में पांच निर्णय।

8. उक्त पैरा 7 में उल्लिखित अनुलग्नकों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:-

श्री ए.के.पाण्डे,
अवर सचिव,
रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना अधिकरण प्रकोष्ठ,
कमरा संख्या 308-ए, 'बी' विंग, सेना भवन,
नई दिल्ली-110001.

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 16 सितंबर, 2019 है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से ठीक हो। अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. उपर्युक्त विज्ञापन के आधार पर चयन उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सी) संख्या – 279/2017, कुदरत संधू बनाम भारत संघ बनाम अन्य पर अंतिम आदेश आने के अध्यधीन होंगे।

भवदीय,

पूर्णिमा राजेन्द्रन

(पूर्णिमा राजेन्द्रन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नंबर – 23011593

संलग्नकः- उपर्युक्तानुसार

प्रति प्रेषितः-

1. प्रधान रजिस्ट्रार, एएफटी - एएफटी वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने हेतु।
2. निदेशक(एनआईसी/रक्षा मंत्रालय) - रक्षा मंत्रालय वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने हेतु।

*****